न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 206/14
(जीसीएमएस संख्या 2018/00569)

निर्णय दिनांकः— 7-6-2022

1. रामेश्वरी देवी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी चक 8 डीकेडी हाल चक 2 पीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सेठ उर्फ प्रीतम चन्द पुत्र सूखू ग्राम बंगोली पोस्ट हरीपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09—08—2018 व 17—09—2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 09—08—2018 व 17—09—2018 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 8 डीकेडी हाल चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/35 के किला नम्बर 3 ता 7, 12 ता 14, 18 व 19 तादादी 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट् की बतौर स्मालपेच आवंटन भूमि है, जिस पर अपीलांट् का आवंटन की दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट् परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर पौंग बांध विस्थापित किया गया है। जोकि विधि विरूद्व आदेश है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि वर्ष 1994 से अपीलांट् को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड व मौके की स्थिति की जॉच किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् के नाम इंतकाल संख्या 30 स्वीकृत कर दिया गया तथा जिसका अंकन खसरा गिरदावरी में भी कर दिया गया, परन्तु कालान्तर में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त स्वीकृतशुदा इंतकाल में सांठ–गांठ करते हुए स्वीकृत शब्द के आगे 'अ' जोड़ दिया गया। उक्त कार्यवाही के विरूद्व अपीलांट् द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रखी है। तत्पश्चात् उक्त इंतकाल में अपीलांट् रामेश्वरी की जगह परमेश्वरी कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को वर्ष 1994 में आवंटित की गई थी, उसके पश्चात् अपीलांट् द्वारा काफी मेहनत व रूपया पैसा खर्च करते हुए वादग्रस्त भूमि को काबिज काश्त बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् को तमाम अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर पौंग बांध विस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि आराजी जैर कभी भी पौंग बांध विस्थापितों के लिये आरक्षित नहीं की गई है, अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के अवलोकन किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिना ही पौंग बांध हेतु अनारक्षित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को विधि विरूद्व तरीके से करते हुए अपीलांट् के हितों पर कुठाराधात किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर पौंग बांध विस्थापित किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील भूमि अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवलोहना की श्रेणी में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट् का आवंटन बहाल रखते हुए अपीलांट् के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी उस दिन प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने आये। तत्पश्चात् अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नकलें आदि प्राप्त करते हुए जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा बतौर पौंग बांध विस्थापित भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र द्वारा जिसमें माननीय उच्च न्यायालय शिमला द्वारा रिट याचिका संख्या 15/6085 सेठ पुत्र सुखू ग्राम व पोस्ट बंगोली आदि मे पारित निर्णय दिनांक 31–03–2015 के क्रम में पत्रावली जिला कलेक्टर, बीकानेरके समक्ष अनुशंसा हेतु भिजवाये जाने पर जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा पत्रावली का विधिक परिक्षण करवाये जाने के उपरान्त पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ भिजवाये जाने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्विवाद रूप से उपलब्ध रकबों की सूची उपलब्ध करवाने का निवेदन किये जाने पर रकबा निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध होने ही दशा में ही वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 65/25 के किला नम्बर 1/0.18, 2, 6, 7, 9, 10/0.18, 11/0.18, 12 ता 19, 20/0.18, 21/0.18 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 65/35 के किला नम्बर 7/0.10, 8, 9, 12, 13, 14/0.10, 16/0.10, 17 ता 19 तादादी 8 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तमाम अधिकार हासिल हो चुके है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि में से चक 2 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 65/35 के किला नम्बर 7, 12 ता 14, 18 व 19 तादादी 6 बीघा भूमि के अपीलांट् को आंवटित होने का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र आवंटन आदेश की एक छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जोकि छाया प्रति व अपठनीय है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आवंटन आदेश की छाया प्रति के माध्यम से अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट् के आवंटन पत्रावली बाबत् विभिन्न न्यायालयों में प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट् के आवंटन की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। जिससे साबित होता है कि आराजी जैर का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कभी भी नहीं रहा है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की आपत्ति की वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 30 दिनांक 05—12—1994 स्वीकृत हो चुका था जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के अस्वीकृत कर दिया गया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश दिनांक 22—10—2018 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया अदालत मातहत के उक्त आदेश के माध्यम से इंतकाज संख्या 30 दिनांक 05—12—1994 को अस्वीकृत किया जाना सही माना गया है। अपीलांट् द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोई किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने तथा रकबा पौंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित होने की दशा में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–08–2018 व आदेश दिनांक 17–09–2018 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–11–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिससे यह अपेक्षा नहीं कर जा सकती कि वह न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही जानकारी रख सके। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए व जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 2 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 65/25 के किला नम्बर 1/0.18, 2, 6, 7, 9, 10/0.18, 11/0.18, 12 ता 19, 20/0.18, 21/0.18 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 65/35 के किला नम्बर 7/0.10, 8, 9, 12, 13, 14/0.10, 16/0.10, 17 ता 19 तादादी 8 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर पौंग

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बांध विस्थापित आवंटित किये जाने के विरूद्व प्रस्तुत अपील इस आधार पर ही गई है कि उक्त भूमि में से चक 2 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 65/35 के किला नम्बर 7, 12 ता 14, 18, 19 की 06 बीघा भूमि अपीलांट् को पूर्व में आवंटित भूमि रही है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट् के आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा अपने आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश दिनांक 15–10–1994 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। जोकि अपठनीय है। इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् के आवंटन के पश्चात् दर्ज इंतकाल संख्या 30 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक 05–12–1994 को उक्त इंतकाल को अस्वीकृत किया जा चुका है। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2018 का भी अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि स्माल पेच में आवंटित भूमि एक ही पेच में होने पर आवंटित की जाती है, किसी बड़े पेच में से एक छोटा पेच बनाया जाकर स्माल पेच आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन अधिकारी द्वारा 10.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन करने के पश्चात् 03 बीघा कमाण्ड व 02 बीघा अनकमाण्ड भूमि इसी मुरब्बें में शेष रहती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील सही रूप से अस्वीकृत किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलांट् को आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने की स्थिति में ही इंतकाल संख्या 30 अस्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि किसी साठ–गांठ के तहत स्वीकृत के आगे 'अ' अंकित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट को आवंटित भूमि आवंटन दिनांक को खारिजशुदा भूमि है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर पौंग बांध विस्थापित के तहत मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र कमांक एफ–12 (2)(172–अभ्या)/राजस्व/15/6085 दिनांक 26–04–2016 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय शिमला के रिट याचिका संख्या 1773/15 सेठ पुत्र सुखू बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31–03–2015 के अनुसरण में पत्रावली जिला कलेक्टर, बीकानेर से विधि अनुसार परीक्षण के उपरान्त प्राप्त होने पर पौंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमियों का अवलोकन करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध रकबों की सूची में होने पर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन हेतु सहमति प्रदान करने के उपरान्त विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट पूर्ववर्ती आवंटन का सहारा लेकर उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–08–2018 व आदेश दिनांक 17–09–2018 उपखण्ड अधिकारी, पूगल यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07/06/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/06/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर